संख्या:9/ 2018/222/35-4-2018

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 26 फरवरी,2018

विषयः वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद को स्वीकृत 100-100 हैण्डपम्पों की अवशेष धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-70/2017/642/35-4-2017 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 के साथ पठित शासनादेश संख्या-1/2018/12/35-4-2018 दिनांक 05 जनवरी,2018 एवं शासनादेश संख्या-6/2018/66/35-4-2018 दिनांक 19 जनवरी,2018 के द्वारा प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं प्रत्येक मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु कुल 50300 हैण्डपम्पों की रू. 22635.00 लाख की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5000.00 लाख की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को अवमुक्त की गई थी। मुख्य अभिन्ता(ग्रामीण)उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या:111/2042-0008(नये हैण्डपम्प)/18 दिनांक 23 फरवरी,2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त स्वीकृत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 17635.00 लाख (रूपये एक सौ छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2017 05 जनवरी,2018 एवं दिनांक 19 जनवरी,2018 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जायेगा और जनपद बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, शाहजहॉपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा अलीगढ़ के कार्यों हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहिरत करके दी जायेगी।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:9/2018/222(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
10-समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या,उ0प्र0।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।